Date
30-6-2017

वस्तु एवं सेवा कर

GST

GOODS & SERVICES TAX

→ क्या है GST
→ GST के प्रकार
→ क्यों आवश्यक है GST
→ किस तरह से कार्य करेगा GST (चार्ट के माध्यम से समझें)
→ GST में कर की दरें
→ GST के दायरे में व GST से बाहर की चीजें
→ GST के आम लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव

.....सम्पूर्ण विश्लेषण सरल शब्दों में।

→ शशांक शेखर
भदौरिया

वस्तु एवं सेवा कर

GOODS & SERVICE TAX [GST]

.....सम्पूर्ण विश्लेषण सरल शब्दों में।

GST की नींव आज से 16 वर्ष पहले रखी गयी थी, इसके बाद वर्ष 2007 में तत्कालीन भारत सरकार ने 2010 से GST लागू करने का प्रस्ताव रखा था तथा मार्च 2011 में लोकसभा में इसे पेश किया गया।

दिसम्बर 2014 में एक बार फिर से GST विधेयक संसद में पेश किया गया तथा मई 2015 में इसे लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद यह संविधान का 122वां संशोधन कहलाया। पूरे देश में इसको 1 जुलाई 2017 से लागू किया जा रहा है।

25 साल पहले अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद GST के रूप में अप्रत्यक्ष करो में क्रांतिकारी सुधार होने जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में GST मील का पत्थर साबित होगा।

क्या है GST :-

GST अर्थात वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Servia Tax) एक अप्रत्यक्ष (Indirect) कर (Tax) है। यह एक एकीकृत कर (Integrated Tax) है जो वस्तुओं एवं सेवाओं दोनो पर लगेगा।

GST लागू होने के बाद पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जायेगा और अधिकतर अप्रत्यक्ष कर जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (Exise Duty), सेवा कर (Servia Tax), वैट VAT (Value Added Tax), मनोरंजन कर आदि सभी अप्रत्यक्ष कर समाप्त होकर GST में समाहित हो जायेगे।

इसके बाद भारत एक सिंगल टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बन जायेगा अर्थात देश में वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले अलग-अलग टैक्स खत्म हो जायेगे। और फिर नये आंकड़े के अनुसार देश के सभी लोग सेवाओं एवं वस्तुओं पर केवल एक ही Tax देगे जिसे GST के नाम से जाना जायेगा।

दुनिया के करीब 165 देशो में GST लागू है न्यूजीलैंड में 15%, आस्ट्रेलिया में 10%, फ्रांस में 19.6%. जर्मनी में 19% तथा पाकिस्तान में 18% की दर से GST लागू है।

GST से पहले भारत के Tax System में सबसे बड़ा सुधार वर्ष 2005 में किया गया था। तब Sales Tax को VAT अर्थात मूल्य निर्धारित कर जो कि एक बाजार कर होता है, में बदल दिया गया था। इसकी मदद से अलग-अलग चरणों में लगने वाले करों को कम करने की कोशिश की गयी थी।

लेकिन VAT भी "टैक्स पर टैक्स" लगने वाली व्यवस्था का अंत नहीं कर पाया। VAT उन वस्तुओं पर भी लगता है जिनके लिये Excise Duty चुका दी गयी हो यानि लोगों को Tax पर भी अलग से Tax देना पड़ता था।

भारत में Tax की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार देश में निर्मित होने वाली वस्तुओं की मैन्यूफैक्चरिंग (Manufacturing) पर Excise Duty देनी पड़ती है और जब ये वस्तुयें बिक्री पर लायी जाती हैं तो इस पर Sales Tax और Vat (VAT) अतिरिक्त लग जाता है।

इसी तरह उपलब्ध करायी गयी सेवाओं पर लोगों से Service Tax वसूला जाता है लेकिन GST लागू होने के बाद इन करों का बोझ समाप्त हो जायेगा।

GST के प्रकार :-



संघीय ढांचे को बनाये रखने के लिये GST तीन स्तरों पर लगेगा।

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST)

इस कर को केन्द्र सरकार वसूलेगी।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST)

इस कर को राज्य सरकारें वसूलेगी।

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST)

एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की स्थिति में यह कर लगेगा।

IGST का एक हिस्सा केन्द्र सरकार और दूसरा हिस्सा वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले राज्य को प्राप्त होगा।

क्यों आवश्यक है GST

भारत का वर्तमान कर ढांचा (Tax Structure) बहुत ही जटिल है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार तथा वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार के अधीन है।

इस कारण देश में अलग-अलग प्रकार के कर लागू हैं जिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल हो गयी है। कंपनियो व छोटे उद्योगों के लिये इन विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। इन सभी जटिलताओं को खत्म करने के लिये ही G.S.T को लागू किया जा रहा है।

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) → वह कर जिसे आपसे सीधे तौर पर वसूला जाता है प्रत्यक्ष कर कहलाता है।

उदाहरण → कृषि कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, निगम कर आदि।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) → जिसका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाये अर्थात वास्तविक भार उस व्यक्ति को नहीं देना पड़ता जो उसे अदा करता है

उदाहरण → Exise Tax (उत्पादन कर), सीमा शुल्क (Custom Tax) सेवा कर (Savice Tax), VAT (वैल्यू एडेड टैक्स) आदि।

उदाहरण:- माना कोई वस्तु 100 रुपये में तैयार हुयी है और उस वस्तु पर Tax लगा 12%, जिससे उस वस्तु की कीमत होगयी 112 रुपये। चूंकि उस वस्तु के निर्माण में लागत आयी 8 रुपये, तो उस वस्तु की कुल कीमत हो गयी 120 रुपये।

माना अब 120 रुपये वाली वस्तु पर 18% टैक्स लगना था लेकिन यहां पर उस वस्तु को कच्चे माल के रूप में पहले ही खरीदा जा चुका है तथा उस पर 12% टैक्स भी पहले ही लग चुका है अतः इस वस्तु पर 18% टैक्स नहीं लगेगा। 18% से 12% घटाकर माल 6% टैक्स ही लगेगा, जिससे वस्तुओं की कीमतों में पहले की अपेक्षा स्थिरता आयेगी।

यही है GST का सबसे बड़ा फायदा जो टैक्स पर टैक्स लगाने वाली प्रथा को खत्म करेगा

आइये अब इसको एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।

इस चार्ट के माध्यम से समझें

	वर्तमान स्थिति में वस्तु की कीमत	GST लागू होने के बाद पड़ने वाला प्रभाव
...ला चरण (...कैक्चरिंग ...र्माता)	• एक उद्यमी 100 रुपये का कपड़ा खरीदता है। • इसमें 10 रुपये का अप्रत्यक्ष कर भी शामिल है। • इससे तैयार शर्ट की लागत आयी 30 रुपये। • शर्ट तैयार होने पर कीमत रखी गयी 130 रुपये। • इस पर लगता है 10% टैक्स (कर)। • 130 रु पर 10% से कुल कर हुआ 13 रुपये। • शर्ट की कुल कीमत 130+13 = 143 रुपये	• एक उद्यमी 100 रुपये का कपड़ा खरीदता है। • इसमें 10 रुपये का अप्रत्यक्ष कर भी शामिल है। • इससे तैयार शर्ट की लागत आती है 30 रुपये। • शर्ट तैयार होने पर वह कीमत रखता है 130 रुपये। • इस पर लगता है 10% कर। • 130 रुपये पर 10% से कुल कर हुआ 130 रुपये। • क्योंकि वह 10 रुपये का टैक्स कपड़ा खरीदते वक्त दे चुका है अतः उसे कर देना होगा 13-10 = 3 रुपये।
...रा चरण: ...ोक विक्रेता	• थोक विक्रेता ने इसे 143 रुपये में खरीदा • 20 रुपये का मुनाफा जोड़ने पर कीमत 163 रुपये • 10% का कर लगने के बाद कीमत 16.30 रुपये • कर जोड़ने का शर्ट की कुल कीमत हो गयी 179.30 रुपये।	• थोक विक्रेता ने इसे 130 रुपये में खरीदा। • 20 रुपये का मुनाफा जोड़ने पर शर्ट की कीमत 150 रुपये। • 10% का Tax लगने बाद कीमत 15 रुपये। • निर्माता इस पर पहले ही 13 रुपये कर का भुगतान कर चुका है। अतः थोक विक्रेता को इसमें छूट मिलेगी, कर के रूप में उसे अदा करना होगा 15-13 = 2 रुपये GST
...सरा चरण: रिटेलर (...कुदा व्यापारी)	• थोक विक्रेता ने रिटेलर को शर्ट 179.30 रुपये में • रिटेलर ने पैकिंग करके 10 रुपये का मुनाफा जोड़ा, शर्ट की कीमत हो गयी 189.30 रुपये • इस पर लगता है 10% का टैक्स अतः 189.30 रुपये पर देना होगा 18.9 रुपये टैक्स	• थोक विक्रेता ने रिटेलर को 150 रु० में शर्ट बेची। • रिटेलर ने इसकी पैकिंग करके 10 रु० का मुनाफा जोड़ा, शर्ट की कीमत हो गयी 160 रुपये। • इस पर लगता है 10% का टैक्स अतः 160 रु० पर कुल कर हुआ 16 रुपये। • थोक विक्रेता के स्तर तक 15 रुपये का भुगतान पहले ही हो चुका है अतः रिटेलर को देने होंगे 16-15 = केवल 1 रुपया।
कुल कीमत-	अतः शर्ट पर निर्माता, थोक-विक्रेता और रिटेलर के स्तर पर लगा कुल वर्तमान करों का मूल्य, 10+13+16.3+18.9 = 58.23 रुपये Tax शर्ट की कुल कीमत होगी- 143+58.23 = 201.23 रुपये	अतः शर्ट पर निर्माता, थोक विक्रेता और रिटेलर के स्तर पर लगा कुल वर्तमान करों का मूल्य, 10+3+2+1 = केवल 16 रुपये GST शर्ट की कीमत होगी- 130+16 = 146 रुपये

दोनों स्थितियों की तुलना के बाद वस्तुओं की कीमत में अंतर अब आप स्वयं देख सकते हैं।

GST में कर की दरें (Rates of Tax)

GST Rates को **5** भागों में विभाजित किया गया है → 0%, 5%, 12%, 18%, [redacted] तथा 28%.

GST की अधिकतम दर 28% रखी गयी है लगभग 19% वस्तुयें ऐसी हैं जिनपर 28% की दर से GST लगेगा। GST के बाद अधिकतर वस्तुये सस्ती हो जायेंगी परन्तु सेवायें मंहगी हो जायेगीं, लेकिन सेवा को लेकर भी एक निश्चित माहौल रहेगा। अभी हर साल इसमें होने वाली बढोत्तरी नहीं होगी।

वस्तुएं व सेवायें जिनपर कोई Tax नहीं लगेगा 0%

वस्तुएं → दैनिक जीवन की सभी वस्तुएं जैसे दूध, दही, फल, सब्जियां, आटा, ब्रेड, नमक, अखबार मछली, चिकन, किताबें आदि सभी सामानों पर GST नहीं लगेगा।

सेवायें (Services) → 1000 रु से कम के होटल इत्यादि।

वस्तुएं व सेवायें जिनपर 5% की दर से Tax लगेगा

वस्तुएं (Goods) → डब्बा बंद रसना, डब्बा बंद पनीर, कॉफी चाय, मसाले, दवायें इत्यादि।

सेवायें (Services) → ट्रांसपोर्ट सेवायें व छोटे रेस्टोरेंट

वस्तुएं व सेवाएं जिनपर 12% की दर से Tax लगेगा →

वस्तुएं → आयुर्वेदिक दवायें, डब्बा बंद मेवे, सिलाई मशीन मोबाइल फोन इत्यादि।

सेवाएं → बिना AC के होटल, रवाद, Business Class Air Tickets इत्यादि।

वस्तुएं व सेवायें जिन पर 18% की दर से Tax लगेगा →

वस्तुएं → कैमरा, स्पीकर, पेस्ट्रीज, केक, मिनरल वाटर, आइस्क्रीम, नोट बुक्स इत्यादि।

सेवाएं → AC होटल, टेलीकॉम सेवायें, IT सेवायें, ब्रांडेड कपड़े इत्यादि

वस्तुएं व सेवायें जिन पर 28% की दर से Tax लगेगा →

वस्तुएं → चॉकलेट, पान मसाला, वाटर हीटर, वैक्यूम क्लीनर, सिलाई मशीन, वाशिंग मशीन, ऑटोमोबाइल्स इत्यादि

सेवायें → 5 स्टार होटल्स, सिनेमा इत्यादि।

GST के दायरे में आने वाले लोग :-

(i) 20 लाख रूपये या उससे कम वार्षिक कारोबार करने वाले लोग GST के दायरे में नहीं आयेंगे पूर्वोत्तर व विशेष दर्जा वाले राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ये सीमा 10 लाख रूपये होगी। ऐसे व्यापारी GST के लिये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट (खरीदे गये सामान पर चुकाया कर) का फायदा मिल सके।

(ii) 20 लाख रूपये से ज्यादा लेकिन डेढ़ करोड़ रूपये से कम तक का सालाना कारोबार करने वाले 90% व्यापारी राज्य सरकार के नियंत्रण में आयेंगे जबकि 10% व्यापारी केन्द्र सरकार के नियंत्रण में आयेंगे।

(iii) डेढ़ करोड़ रूपये से ज्यादा सालाना कारोबार करने वाले व्यापारी आधे राज्य सरकार के नियंत्रण में होंगे जबकि आधे केन्द्र सरकार के नियंत्रण में होंगे।

GST के तहत उन सभी कारोबारियों, उत्पादक, सेवा प्रदाता को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा जिनकी एक वर्ष में कुल बिक्री का मूल्य एक निश्चित मूल्य से ज्यादा होगा।

GST से बाहर की चीजें :

शराब पूरी तरह से GST से बाहर होगी अर्थात राज्य सरकारें पूर्व की भांति आबकारी लगाती रहेंगी। पेट्रोल, रसोई, गैस, डीजल अभी फिलहाल GST से बाहर हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें भी पूरी तरह GST से बाहर हैं



GST का आम लोगो पर प्रभाव :-

अप्रत्यक्ष करों का भार अंतिम उपभोक्ता को ही भरना पड़ता है, लेकिन पूरे भारत में एक ही टैक्स लगाने से वस्तुओं की लागत में कमी आयेगी हालांकि सेवाओं की लागत बढ जायेगी। GST लागू हो जाने के बाद केन्द्रीय सेल्स टैक्स (CST), GST में समाहित हो जायेगा जिससे वस्तुओं की की कीमतों में कमी आयेगी।

वर्तमान स्थिति यह है कि हमें किसी भी सामान पर लगभग 30-35% तक टैक्स देना पड़ता है खुद चीजों पर तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लगाया जाने ~~वाला~~ वाला टैक्स 50% तक पहुँच जाता था। GST लागू होने के बाद टैक्स की दरें कम हो जायेंगी तथा टैक्स का ढाँचा सरल हो जायेगा।

वर्तमान में देश के लोग वस्तुओं और सेवाओं पर 20 अलग अलग तरह के कर (Tax) चुकाते हैं जबकि GST लागू होने के बाद सिर्फ एक ही तरह का टैक्स चुकाना होगा, हालांकि खुद चीजें महंगी हो जायेगीं पर उनकी कीमतें निश्चित हो जायेगीं।

बहुत सारे केन्द्रीय व राज्य कर खत्म हो जायेंगे GST लागू होने के बाद।

खत्म होने वाले केन्द्रीय कर

* सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी
* ड्यूटीज ऑफ एक्साइज (दवाओं या अन्य उत्पादों पर)
* एडीशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज (विशेष महत्व वाले उत्पादों पर)
* एडीशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम।
* सर्विस टैक्स।
* वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले सेस और सरचार्ज।

खत्म होने वाले राज्य कर

* VAT (Value Added Tax)
* सेंट्रल सेल्स टैक्स, पर्चेज टैक्स (Purchase Tax), लक्सरी टैक्स, एंट्री टैक्स (Entry Tax)
* एंटरटेनमेंट टैक्स, विज्ञापनों पर लगने वाला टैक्स
* लाटरी और जुओं पर लगने वाला टैक्स
* वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला सेस और सरचार्ज

पैकेज्ड फूड पर अभी अधिकांश राज्यों में कोई टैक्स (Tax) नहीं लगता और जहां लगता है वहां भी इसकी दर 4 से 6% तक ही है लेकिन GST लागू होने के बाद आपको डिब्बाबंद खाने पर भी 18% टैक्स देना होगा। इसी तरह अभी ज्वैलरी पर 3% टैक्स व रेडीमेड गारमेंट्स पर 4 से 5% State Vat लगता है, लेकिन 18% GST लगने के बाद गहने और कपड़े महंगे हो जायेंगें।

GST लागू होने के बाद Discount भी महंगा हो जायेगा। अभी Discount के बाद बची बाकी की कीमत पर Tax लगता है लेकिन GST लागू होने के बाद MRP पर टैक्स लगेगा। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की सेवायें आज के मुकाबले महंगी हो जायेगी। अभी सेवाओं पर 15% का टैक्स लगता है जो बढ़कर 18% हो जायेगा। आपको इन सेवाओं पर अभी के मुकाबले 3% अधिक टैक्स देना पड़ेगा।

GST लागू होने के बाद घर और कार खरीदना काफी सस्ता हो जायेगा। छोटी कारों पर अभी 30 से 44 % तक टैक्स लगता है लेकिन सिर्फ 18 % GST लगने की वजह से छोटी कारें 45000 रुपये तक सस्ती हो जायेगी। अभी घर खरीदने पर आपको सर्विस टैक्स और VAT (Value Added Tax) दोनों देने पड़ते हैं लेकिन GST लागू होने के बाद आपको सिर्फ एक तरह का टैक्स देना होगा।

इसी प्रकार होटल, रेस्टोरेंट पर आपको अलग अलग Tax नहीं चुकाने होंगे। घरेलू उपकरण जैसे AC, माइक्रोवेव ओवन, वाशिंग मशीन, टीवी आदि को खरीदते समय आपको 12.5% Exise और 14.5% VAT देना पड़ता है लेकिन GST के तहत सिर्फ 18% टैक्स देने से आप वे सामान काफी कम दामों पर खरीद पायेंगे।

देशभर में मालढुलाई करीब 20% तक सस्ती हो जायेगी जिससे महंगाई घट भी सकती है वर्तमान में व्यवसायों पर अलग-अलग प्रकार के लगभग 18 अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता है

जैसे वस्तुओं का उत्पादन करने पर उत्पाद शुल्क, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स आदि विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना पड़ता है जो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है लेकिन GST लागू होने के बाद ये सभी टैक्स खत्म हो जायेंगें तथा एक ही प्रकार के अप्रत्यक्ष कर कानून का पालन करना पड़ेगा जिससे व्यवसाय में सरलता आयेगी।

अतः "एक देश, एक टैक्स" की नीति लागू हो जाने के बाद आपको किसी भी वस्तु व सेवा के लिये अलग-अलग राज्यो में अलग-अलग कीमत नहीं चुकानी होगी, अर्थात पूरे देश में सभी सामान, वस्तुयें व सेवायें एक ही दाम पर उपलब्ध होगीं।

अतः कुल मिलाकर GST भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति के लिये मील का पत्थर साबित होगा

एक देश, एक कर = GST

→ शशांक शेखर
भदौरिया।